File No.78-01099/14/2024-00 0 -1-00

उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-142/78-1-2024-14/2024
लखनऊः दिनांकः 19 जनवरी, 2024

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदया "उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024" प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2- "उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024" अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

Digitally Signed by अनिल कुमार सागर
Date: 18-01-2024 20:41:13
Reason: Approved

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-142(1)/78-1/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

नीति की प्रति संलग्न।

आज्ञा से,

(नेहा जैन)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति–2024

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

विषय–सूची

1 प्रस्तावना

2 नीति की परिकल्पना एवं उद्देश्य
- 2.1 परिकल्पना
- 2.2 नीति का उद्देश्य

3 नियमन (Governance)
- 3.1 नोडल संस्था
- 3.2 नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU)
- 3.3 सशक्त समिति (EC)

4 नीति का कियान्वयन एवं आच्छादन
- 4.1 नीति की अवधि-एवं आच्छादन
- 4.2 पात्रता मापदण्ड
- 4.3 पात्र पूंजीगत निवेश

5 अनुमोदन एवं संवितरण
- 5.1 अनुमोदन प्रकिया
- 5.2 उपादान का संवितरण

6 प्रोत्साहन
- 6.1 वित्तीय प्रोत्साहन
- 6.2 गैर–वित्तीय प्रोत्साहन

7 आवेदन की प्रकिया

8 शब्दावली

9 संक्षिप्तीकरण

1. प्रस्तावना

उद्योगों में आधुनिक प्रगति, स्मार्टफोन, कम्प्यूटर और चिकित्सा उपकरण जैसे उपकरणों में दक्षता विस्तार के लिए सेमीकण्डक्टर विनिर्माण महत्वपूर्ण है। यह आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स और क्वॉटम कम्प्यूटिंग में नवाचार को भी बढ़ावा देता है। आर्थिक रूप से, यह एक जटिल सप्लाई–चेन के माध्यम से रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देता है, साथ ही निवेश तकनीकी संप्रभुता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करता है। इस डिजिटल युग में, सेमीकण्डक्टर्स नवाचार, कनेक्टिविटी और समृद्धि को बढ़ावा देते हैं।

इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन का लक्ष्य देश को वैश्विक सेमीकण्डक्टर शक्ति के रूप में स्थापित करना है। मिशन स्थानीय उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन तथा आयात–निर्भरता को कम करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, नवाचार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है। बुनियादी ढॉचे में सुधार, सहयोग को समर्थन तथा कुशल श्रमिकों का पोषण करके, यह पहल तकनीकी स्वायत्ता तथा सेमीकण्डक्टर और इलेक्ट्रानिक्स में भारत की वैश्विक स्थिति को आगे बढ़ाती है। यह डिजिटल उत्कृष्टता तथा वैश्विक सेमीकण्डक्टर परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप है।

भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, उत्तर प्रदेश–एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जोकि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 9 प्रतिशत हिस्सा है, राज्य के भीतर सेमीकण्डक्टर ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह प्रयास इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण और नवाचार परिदृश्य के विस्तार में तीव्रता लाने के लिए तत्पर है। यह एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य की महत्वाकांक्षा के अनुरूप तथा इस प्रकार यह भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के विशद संकल्प के साथ संरेखित है।

2. नीति की परिकल्पना एवं उद्देश्य

2.1 परिकल्पना

उत्तर प्रदेश को सेमीकण्डक्टर उद्योग के लिए पसन्दीदा गन्तव्य के रूप में स्थापित किये जाने हेतु विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बुनियादी ढॉचे तथा अनुकूल नीतिगत वातावरण का निर्माण करते हुए प्रवीण जनशक्ति के प्रभावी उपयोग, नवाचार तथा उदीयमान प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण द्वारा सेमीकण्डक्टर विनिर्माण को उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण विकास साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाना जिससे सर्वांगीण स्थायी ईकोसिस्टम का निर्माण और इसके फलस्वरूप प्रदेश और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान प्राप्त होगा।

2.2 नीति का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

- उत्तर प्रदेश में एक सुदृढ़ सेमीकण्डक्टर विनिर्माण ईकोसिस्टम की स्थापना, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देने, रोज़गार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने तथा सामरिक महत्व के क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए तैयार हो।
- उन्नत डिजाइन और परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे का विकास करना, स्टार्टअप्स, निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच, उनकी उच्चतम क्षमता को अनलॉक करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाना।
- चिप डिजाइन उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को लक्षित करने पर ध्यान देने के साथ–साथ राज्य के भीतर एक सहायक फैबलेस ईकोसिस्टम का विकास।
- कुशल प्रतिभाओं का पूल बनाने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच मजबूत सम्बन्ध स्थापित करना जोकि पाठ्यक्रम में अभिवृद्धि, इलेक्ट्रानिक्स शिक्षा के नियमित अद्यतन करने तथा राज्य के कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रमुख कौशल–निर्माण कार्यशालाओं की सुविधा से हासिल किया गया हो।
- सेमीकण्डक्टर डिजाइन और विनिर्माण प्रकियाओं में उच्च मूल्य संवर्द्धन पर जोर देते हुए मध्यम से दीर्घ अवधि में सम्भावित निर्माण इकाई प्रतिष्ठानों के लिए अनुकूल वातावरण का मार्ग प्रशस्त किया जाना।

3. नियमन (Governance)

3.1 नोडल संस्था

उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति–2024 के प्रभावी कियान्वयन के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड नोडल संस्था होगी। यह संस्था प्रदेश में सेमीकण्डक्टर ईकोसिस्टम के निरन्तर विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण के सृजन हेतु जिम्मेदार होगी। संस्था ईकोसिस्टम के सभी हितधारकों के साथ सम्पर्क हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगी। सरकार को सहयोग प्रदान करने के लिए एकल खिड़की संचालन के प्रबन्धन हेतु नोडल संस्था द्वारा आउटसोर्स प्रोफेशनल्स और सलाहकारों तथा पर्याप्त कार्मिकों वाली एक समर्पित परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) स्थापित की जायेगी।

3.2 नीति कार्यान्वयन इकाई

नोडल संस्था के कार्यकलापों की देख–रेख के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्थापित की जायेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई सशक्त समिति को संस्तुतियाँ करने सहित नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी। नीति कार्यान्वयन इकाई निवेश प्रस्तावों के परीक्षण और आवश्यक अनुमोदन के लिए सशक्त समिति को अनुशंसा करने के लिए जिम्मेदार होगी।

पीआईयू में औद्योगिक विकास विभाग, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, वित, आवास विभाग, श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा नामित सदस्य सम्मिलित होंगे तथा जब भी आवश्यकता हो, आवश्यकता के अनुसार अन्य विभागों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों आदि के सदस्य शामिल हो सकते हैं।

3.3 सशक्त समिति

नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया जायेगा। समिति का चार्टर नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और सभी स्तरों पर निवेशकों के मुद्दों के सामयिक समाधान के सम्बन्ध में अंतर–विभागीय समन्वयन से सम्बन्धित होगा। नीति के तहत आवेदन करने वाली सभी परियोजनायें सशक्त समिति की अनुशंसा पर माननीय राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन होंगी।

इस समिति में औद्योगिक विकास विभाग, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, वित्त, नियोजन, लघु उद्योग, वाणिज्य कर, ऊर्जा, सिंचाई, आवास विभाग, श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव तथा आवश्यकता के अनुरूप अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदि सम्मिलत होंगे।

नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा नीति के विस्तार/संशोधन पर निर्णय लिया जा सकेगा।

4. नीति का कियान्वयन एवं आच्छादन

4.1 नीति की अवधि एवं आच्छादन

उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति–2024 इसकी अधिसूचना की तिथि से पॉच (5) वर्षों के लिए वैध है।

यह नीति पूरे राज्य को आच्छादित करती है। नीति की अधिसूचित तिथि से निवेश अनुमन्य होगा।

योजना से लाभान्वित होने वाली संस्थाओं को सम्पूर्ण परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन परिचालन की आरम्भ तिथि से कम से कम तीन वर्षों तक अपने वाणिज्यिक उत्पादन परिचालन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा और उन्हें इस आशय का एक औपचारिक वचन–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.2 पात्रता मापदण्ड

ऐसी परियोजना जो भारत सरकार के इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन (आई.एस.एम.) की निम्नलिखित योजनाओं में से किसी के तहत योग्य है, इस नीति के अन्तर्गत पात्र होगी:–

4.2.1 भारत में सेमीकण्डक्टर फैब्स के स्थापना की योजना

4.2.2 भारत में डिस्पले फैब्स के स्थापना की योजना

4.2.3 भारत में कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स सेन्सर फैब और सेमीकण्डक्टर असेम्बली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना।

4.2.4 ऐसी कोई अन्य समान योजना जो भारत सरकार द्वारा संशोधित या प्रस्तावित की जा रही हो।

4.2.5 डिजाइन लिंक्ड इन्सेन्टिव के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा फैब–लेस गतिविधियों से सम्बन्धित परियोजनायें इस नीति के तहत पात्र नहीं होंगी, यद्यपि निवेशक उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनिति सेवा नीति–2022 के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

4.3 पात्र पूंजीगत निवेश

4.3.1 सेमीकण्डक्टर फैब्सः परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता भारत में सेमीकण्डक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के लिए इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 मई 2023 को निर्गत दिशानिर्देशों की धारा 2.12 के तहत पारिभाषित गतिविधियों, जैसाकि समय–समय पर संशोधित किया जाये, तक सीमित होगी। (शब्दावली 8.ii)

4.3.2 डिस्पले फैब्सः परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता भारत में डिस्पले फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के लिए इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 मई 2023 को निर्गत दिशानिर्देशों की धारा 2.12 के तहत पारिभाषित गतिविधियों, जैसाकि समय–समय पर संशोधित किया जाये, तक सीमित होगी। (शब्दावली 8.ii)

4.3.3 ए.टी.एम.पी./ओ.एस.ए.टीः परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता भारत में ए.टी.एम.पी./ओ.एस.ए.टी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना के लिए इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 जून 2023 की धारा 2.11 के तहत पारिभाषित गतिविधियों, जैसाकि समय–समय पर संशोधित किया जाये, तक सीमित होगी। (शब्दावली 8.iii)

नियम एवं शर्तें

इस नीति को राज्य में किसी अन्य नीति/योजना के साथ Dovetail नही किया जा सकता है। यद्यपि, भारत सरकार की योजनाओं/नीतियों के साथ Dovetailing की अनुमति है। इस नीति में निर्दिष्ट समस्त प्रोत्साहनों का लाभ, भारत सरकार की किसी भी योजना/नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन/ उपादान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल पात्र परियोजना लागत के 100प्रतिशत की समग्र सीमा के अधीन होंगे।

सेमीकण्डक्टर फैब्स के लिए संशोधित योजना, डिस्प्ले फैब्स के लिए संशोधित योजना तथा कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेन्सर फैब/ डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब और सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी. एम.पी.)/आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली एवं टेस्ट (ओ.एस.ए.टी.) सुविधाओं की स्थापना हेतु कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स तथा ए.टी.एम.पी. सुविधाओं के लिए संशोधित योजना अथवा अधिसूचना संख्या CG-DL-E-04102022-239339 दिनांक 04 अक्तूबर 2022, अधिसूचना संख्या CG-DL-E- CG-DL-E-04102022-239340 दिनांक 04 अक्तूबर 2022 और/अथवा अधिसूचना संख्या CG-DL-E-06102022-239341 दिनांक 04 अक्तूबर 2022 अथवा ऐसी कोई अन्य समान योजना जो भारत सरकार द्वारा संशोधित या प्रस्तावित की जा रही हो, के अन्तर्गत प्रदेश में प्रस्तावित परियोजना का ऐसा कोई पूंजीगत व्यय अथवा निवेश जोकि परियोजना लागत में पहले से ही सम्मिलित है, पूंजीगत उपादान को छोड़कर नीति के अन्तर्गत अन्य किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

5. अनुमोदन एवं संवितरण

5.1 अनुमोदन प्रकिया

सेमीकण्डक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रीकेशन, कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स (SiPh), सेन्सर (एमईएमएस सहित) फैब, डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब तथा भारत में सेमीकण्डक्टर असेम्बली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.)/ आउटसोर्स सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्ट (ओ.एस.ए.टी.) सुविधा से जुड़ी पहल के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव जो भारत सरकार के इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन (आई.एस.एम.) द्वारा समर्थित है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर संचालित हैं, माननीय राज्य मॅत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे। माननीय राज्य मॅत्रिपरिषद द्वारा यह अनुमोदन सशक्त समिति द्वारा प्रदत्त अनुशंसा के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

- **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदन की प्रकियाः** जिन प्रस्तावों को इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और जो उत्तर प्रदेश में सेमीकण्डक्टर सुविधायें (जेसाकि प्रस्तर 4.2.1, 4.2.2और 4.2.3 में पारिभाषित हैं), स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्वीकृत प्रोत्साहन इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन द्वारा अनुमोदित कुल पात्र परियोजना लागत के 100प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और निर्गत किया गया लेटर ऑफ कम्फर्ट भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त ही प्रभावी होगा।
- आवेदक को इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ–साथ उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति 2024 के तहत आवेदन करना होगा।

5.2 उपादान का संवितरण

पूंजीगत प्रोत्साहन, जो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन के अतिरिक्त है, केवल उसी स्थिति में संवितरित किया जायेगा, जब भारत सरकार द्वारा अपना अंश निर्गत कर दिया जाये। पूंजीगत उपादान का वितरण राज्य सरकार द्वारा Pari passu मोड में किया जाएगा।

पूंजीगत उपादान, भूमि की लागत में छूट एवं स्टाम्प शुल्क में छूट के अतिरिक्त नीति के अन्तर्गत प्राविधानित अन्य सभी राजकोषीय प्रोत्साहन, वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर पात्र होंगे।

6 प्रोत्साहन

इस नीति के अन्तर्गत दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त हैं। तथापि भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन सहित, किसी इकाई द्वारा समस्त स्त्रोतों से दावा किया गया प्रोत्साहन, जब तक कि नीति में अन्यथा न कहा गया हो, पात्र परियोजना लागत के 100प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (जैसाकि इस नीति के प्रस्तर 4.3 में पारिभाषित किया गया है)

6.1 वित्तीय प्रोत्साहन

6.1.1 **पूँजीगत उपादान** : भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत उपादान का 50प्रतिशत। इस उपादान का वितरण भारत सरकार द्वारा दिए गयें उपादान के Pari passu मोड में होगा।

6.1.2 **ब्याज उपादान** : अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण पर 200 करोड़ रूपये तक के निवेश वाली इकाइयों को 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (ब्याज की दर पर) के ब्याज उपादान की प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 1 करोड़ रूपये तक प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक की जायेगी। (प्रति इकाई अधिकतम रु 7 करोड़)

6.1.3 **भूमि की दर में छूट** : इस नीति के प्रस्तर 4.2.3 के अन्तर्गत आने वाली उत्पादन इकाइयों के लिए, प्रचलित दर पर छूट प्रदान की जायेगी:–

i. राज्य अभिकरणों से भूमि कय करने पर प्रथम 200 एकड़ भूमि हेतु प्रचलित सेक्टर दरों पर 75प्रतिशत उपादान।

ii. इकाई अथवा सहायक इकाइयों के लिए भूमि के अतिरिक्त कय पर 30प्रतिशत उपादान की अनुमति होगी।

6.1.4 **स्टाम्प शुल्क और निबन्धन शुल्क** : भूमि की खरीद/पट्टे पर 100प्रतिशत छूट

6.1.5 **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी** : 10 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100प्रतिशत छूट

6.1.6 राज्य में स्थापित फैब इकाइयों को दोहरा पॉवर ग्रिड नेटवर्क प्रदान किया जायेगा। एक ग्रिड (दोनों में से कम) की लागत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार

द्वारा की जायेगी, जबकि दूसरे ग्रिड की लागत निवेशक द्वारा वहन की जायेगी।

6.1.7 **ट्रॉसमिशन तथा व्हीलिंग चार्जेस:–**
परियोजना के परिचालनरत होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत की अंतःराज्यीय खरीद पर व्हीलिंग शुल्क/ट्रॉसमिशन शुल्क पर 50प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

6.1.8 **कौशल और प्रशिक्षण के लिए सहायता**
चिप डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में सेमीकण्डक्टर उद्योग के सहयोग हेतु एक कुशल जनशक्ति पूल तैयार करने के लिए, राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के साथ सहयोग आमंत्रित करेगी।

सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में सेमीकण्डक्टर कौशल और प्रतिभा विकास गतिविधियों की वृद्धि के लिए प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे, यथा:–

अ) फैकल्टी प्रशिक्षण/तकनीकी कार्यशालाओं/जागरुकता कार्यक्रमों/विशेषज्ञ व्याख्यानों हेतु 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष रु 60 लाख तक, कुल 3.00 करोड़ रूपये

ब) बी.टेक और एम.टेक स्नातकों के लिए 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 500 छात्रों तक प्रति छात्र रु 20,000 की इन्टर्नशिप सहायता।

स) सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक उदीयमान उद्योग है, इसमें विश्व स्तरीय प्रतिभा की आपूर्ति भारत में सीमित है। इस अंतर को तटस्थ करने और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की स्थापना में विश्व स्तरीय प्रतिभा को प्रवृत्त करने के लिए, ऐसी प्रतिभाओं के पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति हेतु 'एक बार की सहायता' (One Time Support) के रूप में 12 माह तक की अवधि में अधिकतम रू0 01 करोड़ प्रति इकाई की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

6.1.9 **Stand alone अनुसंधान एवं विकास केन्द्र:** की स्थापना की लागत के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जोकि अधिकतम रू 10 करोड़ की सीमा तथा निम्नलिखित प्रतिबंधो के अधीन होगी:–

(अ) अनुसंधान एवं विकास केन्द्र में न्यूनतम रू 20 करोड़ का पात्र पूंजी निवेश किया गया हो।

(ब) औद्योगिक इकाई के भीतर या बाहर स्पष्ट रूप से सीमांकित सुविधा होनी चाहिये।

(स) भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)/वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) अथवा STPI (सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया) में पंजीकृत होना चाहिये।

(द) सब्सिडी किश्तों में प्रदान की जायेगी, जिसमें से 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त परियोजना का अनुमोदन प्रदान होने पर, 25 प्रतिशत की अगली किश्त अनुमोदन के 03 वर्ष बाद तथा 25 प्रतिशत की अंतिम किश्त 05 वर्ष में प्रतिबद्ध परिणाम प्राप्त होने पर प्रदान की जायेगी।

6.1.10 **उत्कृष्टता के केन्द्र (CoE)**

सेमीकण्डक्टर क्षेत्र में अनुसंधान, एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति के अन्तर्गत उत्कृष्टता केन्द्र (CoE) के रूप में विश्वस्तरीय बुनियादी ढॉचा तैयार करने की परिकल्पना की गई है। नीति का उद्देश्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और/अथवा उद्योग संघों/उद्योग अथवा किसी अन्य शासकीय/निजी इकाई के सहयोग से उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जाना है। उत्कृष्टता केन्द्र की कुल परियोजना लागत का 50प्रतिशत (अधिकतम रु 10 करोड़) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

संस्था को प्रस्तर 6.1.9 अथवा 6.1.10 में से केवल एक ही विकल्प पर विचार करना चाहिए, अर्थात या तो वे अनुसंधान एवं विकास केन्द्र अथवा उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

6.1.11 **पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति**

पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये शुल्क–व्यय के 75 प्रतिशत की दर से (एकमुश्त) प्रतिपूर्ति की जायेगी, जोकि घरेलू पेटेण्ट प्राप्त करने के लिये अधिकतम रू 10 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेण्ट प्राप्त करने के लिये अधिकतम रू 20 लाख की सीमा के अधीन होगी।

6.1.12 **औद्योगिक आवास**

इकाई के परिसर के 10 किमी के दायरे में श्रमिकों के आवास/छात्रावास और सम्बन्धित सामूहिक सुविधा के विकास की लागत का 10 प्रतिशत अथवा रु 10 करोड़, जो भी कम हो, 7 समान वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जायेगा।

6.2 गैर–वित्तीय प्रोत्साहन

6.2.1 मिशन किटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर: राज्य में सेमीकण्डक्टर उद्योग को आवश्यक सेवा और रख–रखाव अधिनियम (ई.एस.एम.ए.) के तहत एक आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

6.2.2 जलापूर्ति: औद्योगिक प्राधिकरण चौबीस घण्टे पर्याप्त पानी उपलब्ध करायेंगे तथा एस.टी.पी. निस्तारण की सुविधा प्रदान करेंगे/बनायेंगे।

6.2.3 इकाई को 'ओपन एक्सेस' के माध्यम से विद्युत प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी।

6.2.4 इकाई को नवीकरणीय/हरित ऊर्जा के लिए पॉवर बैंकिंग प्रदान की जायेगी, यह राज्य के विद्युत नियामक आयोग (ई.आर.सी.) दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होगा।

6.2.5 सरकार पावर ग्रिड में पर्याप्त अतिरिक्तता (redundancy) सुनिश्चित करेगी ताकि फैब परियोजनाओं के निर्बाध संचालन के लिए विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति प्रदान की जा सकें।

6.2.6 नॉन–डिस्टर्बेन्स प्राविधान: सुनिश्चित व्यापार निरन्तरता प्रदान करने के लिए, जब एक बार विकासकर्ता ने निवेश पूर्ण कर लिया और सम्बन्धित

प्राधिकरण से पूर्णता प्राप्त कर लिया और पूरा लीज रेन्ट भुगतान कर दिया है तो किसी सेमीकण्डक्टर इकाई द्वारा किसी भी मानदण्ड/उपनियम के उल्लंघन के मामले में पट्टा विलेख निरस्त करने के लिए प्राधिकरण के निदेशक मण्डल की स्वीकृति एक पूर्व आवश्यकता होगी।

6.2.7 तीन पालियों में परिचालनः सेमीकण्डक्टर इकाइयों को 24 X 7 परिचालन और तीन पालियों में महिलाओं के रोजगार की इस प्रतिबन्ध सहित अनुमति होगी कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी सुरक्षित की जाये।

6.2.8 स्व–प्रमाणन : सेमीकण्डक्टर इकाइयों को विशिष्ट शिकायतों से उत्पन्न निरीक्षणों को छोड़कर निम्नलिखित अधिनियमों और उनके तहत नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट है। इन इकाइयों को निर्धारित प्रारूपों में स्व–प्रमाणन प्रमाण–पत्र दाखिल करने की अनुमति है:–

- फैक्ट्री अधिनियम
- मातृत्व लाभ अधिनियम
- दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम
- अनुबन्ध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम
- वेतन भुगतान अधिनियम
- न्यूनतम वेतन अधिनियम
- रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम

7 आवेदन की प्रकिया

निवेश मित्र, उत्तर प्रदेश का सिंगल विन्डो पोर्टल (https://niveshmitra.up.nic.in/), एक ऑल–इन–वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। यह ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज अपलोड, शुल्क भुगतान, लाइव स्थिति ट्रैकिंग और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनापत्ति की सुविधा प्रदान करता है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में व्यवसाय आरम्भ करने और संचालन के लिए स्थापना–पूर्व, संचालन–पूर्व, नवीनीकरण और अतिरिक्त प्रमाण–पत्रों के लिए आवश्यक स्वीकृति, लाइसेन्स, लेटर ऑफ कम्फर्ट और अनापत्ति निर्गत करने की सुविधा प्राप्त है।

आवेदकों को अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल का उपयोग करना चाहिए, जोकि उन्हें ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबन्धन प्रणाली के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यहाँ पर उन्हें उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति–2024 के अन्तर्गत आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) के लिए आवेदन करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव के आवश्यक विवरण एवं अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

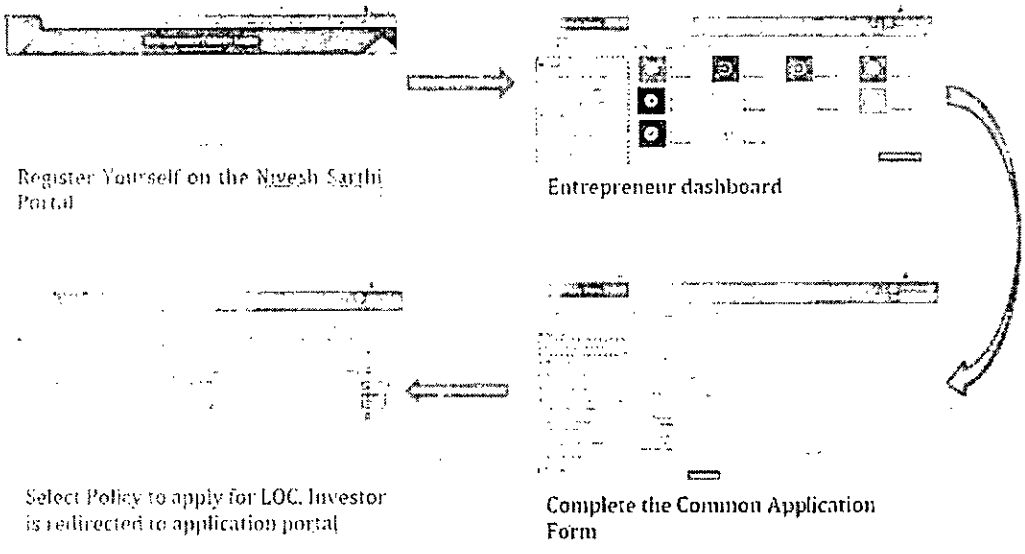

8 शब्दावली

I. **सेमीकण्डक्टर विनिर्माणः** विभिन्न इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों में प्रयुक्त होने वाले सेमीकण्डक्टर डिवाइसेज के सृजन की प्रकिया।

II. **सेमीकण्डक्टर और डिस्पले फैब्स के स्थापना के लिए पात्र पूंजी निवेशः** जैसाकि सेमीकण्डक्टर फैब्स के लिए संशोधित योजना के दिशानिर्देशों की धारा 2.12 में वर्णित है (अधिसूचना संख्या CG-DL-E-06102022-239339) तथा डिस्पले फैब्स के लिए संशोधित योजना के दिशानिर्देश (अधिसूचना संख्या CG-DL-E-06102022-239340), पत्रावली संख्या W-38/21/2022/IPHW दिनांक 29.05.2023

परियोजना लागत में निम्नलिखित पर पूंजीगत व्यय/निवेश सम्मिलित होगा

- भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, क्लीन रूम, उपकरण एवं प्रासंगिक यूटिलिटीज पर पूंजीगत व्यय/निवेश
- अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय/निवेश
- प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण
- अन्य प्रासंगिक लागत यथा निर्माण अवधि में ब्याज तथा बीमा लागत

III. **कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेन्सर फैब/ डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब तथा सेमीकण्डक्टर ए.टी.एम.पी. तथा ओ.एस.ए.टी. की स्थापना हेतु पात्र निवेशः** जैसाकि भारत में कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स/ सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेन्सर फैब/डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब तथा सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.) तथा आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली एण्ड टेस्ट (ओ.एस.ए.टी.) के लिए

अधिसूचना संख्या CG-DL-E-10062023-246449 दिनांक 09.06.2023 द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना संख्या CG-DL-E-06102022-239341 दिनांक 04.10.2022 द्वारा संशोधित योजना के दिशानिर्देशों की धारा 2.11 में वर्णित है, पत्रावली संख्या W-38/21/2022/IPHW दिनांक 30.06.2023

- भवन, संयंत्र, मशीनरी, क्लीन रूम, उपकरण एवं प्रासंगिक यूटिलिटीज पर पूंजीगत व्यय/निवेश
- अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय/निवेश
- प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण अनुबन्ध से सम्बन्धित पूंजीगत व्यय/निवेश
- अन्य प्रासंगिक लागत यथा निर्माण अवधि में ब्याज तथा बीमा लागत
- परियोजना/इकाई के लिए वॉछित भूमि पर किये गये व्यय को योजना के अन्तर्गत पात्र पूंजीगत व्यय/निवेश के आगणन हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा।

IV. **इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन** : इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन डिजिटल इण्डिया कारपोरेशन, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत सेमीकण्डक्टर्स और डिस्पले विनिर्माण ईकोसिस्टम के विकास हेतु कार्यक्रम/संशोधित कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु नोडल संस्था है।

V. **नोडल संस्था** : उत्तर प्रदेश में सेमीकण्डक्टर नीति के कियान्वयन की देख–रेख के लिए जिम्मेदार प्राथमिक सरकारी संगठन है।

VI. **नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)**: नोडल संस्था के कार्यकलापों की देख–रेख के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 के प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष इकाई।

VII. **सशक्त समिति** : नीति के कियान्वयन तथा अन्तर्विभागीय समन्वयन के अनुश्रवण हेतु जिम्मेदार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति।

VIII. भारत **में सेमीकण्डक्टर फैब्स के लिए संशोधित योजना** भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या CG-DL-E-04102022-239339 द्वारा दिनांक 04 अक्तूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। संशोधित योजना भारत में सेमीकण्डक्टर फैब्स की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 50प्रतिशत वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। परियोजना लागत में भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण तथा प्रासंगिक यूटिलिटीज की लागत सम्मिलित है। वित्तीय सहायता आवेदन के अनुमोदन उपरान्त, पारी पासु आधार पर योजना के दिशानिर्देशों तथा अनुमोदन पत्र में प्रदत्त नियमों एवं शर्तो के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

IX. भारत **में डिस्पले फैब्स के लिए संशोधित योजना** भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या CG-DL-E-CG-DL-E-04102022-239340 द्वारा दिनांक 04 अक्तूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। संशोधित योजना भारत में डिस्पले फैब्स की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 50प्रतिशत वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। परियोजना लागत में भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण तथा प्रासंगिक यूटिलिटीज की लागत

सम्मिलित है। वित्तीय सहायता आवेदन के अनुमोदन उपरान्त, पारी पासु आधार पर योजना के दिशानिर्देशों तथा अनुमोदन पत्र में प्रदत्त नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

X. **भारत में कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स तथा ए.टी.एम.पी. सुविधाओं के लिए संशोधित योजना** भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या CG-DL-E-06102022-239341 द्वारा दिनांक 04 अक्तूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। संशोधित योजना भारत में कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेन्सर फैब/डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब और सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी. एम.पी.)/आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली एवं टेस्ट (ओ.एस.ए.टी.) सुविधाओं की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 50प्रतिशत वित्तीय सहयोग प्रदान करती है।

XI. **कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्सः** आवर्त सारणी में विभिन्न समूहों के दो या दो से अधिक तत्तवों से निर्मित अर्द्धचालक सामग्री।

XII. **डिस्पले फैब्रीकेशनः** इलेक्ट्रानिक उपकरणों में प्रयुक्त डिस्पले के निर्माण की प्रकिया।

XIII. **फैबलेस ईकोसिस्टम** : इन–हाउस निर्माण सुविधाओं के बिना सेमीकण्डक्टर चिप डिजाइन और विकास पर केन्द्रित एक ईकोसिस्टम।

XIV. **लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.):** एक वित्तीय साधन जिसका उपयोग किसी पक्ष को यह आश्वस्त करने के लिए किया जाता है कि जारीकर्ता द्वारा अपने दायित्वों को पूर्ण किया जायेगा।

XV. **पारी पासुः** "नो–लियन एकाउण्ट (एन.एल.ए)" में अन्य स्त्रोतों के साथ–साथ आवेदक/परियोजना कम्पनी द्वारा जुटाए जाने वाले सम्बन्धित शेयर के बाद नोडल संस्था द्वारा आनुपातिक भुगतान जारी किया जायेगा। नो–लियन एकाउण्ट में जमा राशि का उपयोग केवल अनुमोदित परियोजना के लिए अधिकृत व्यय के लिए किया जायेगा।

XVI. **नॉन–डिस्टर्बेन्स प्राविधानः** नीति उल्लंघनों के कारण पट्टा निरस्त करने के लिए निदेशक मण्डल की स्वीकृति की आवश्यकता के द्वारा व्यवसाय की निरन्तरता सुनिश्चित करने वाला एक प्राविधान।

XVII. **आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली एवं टेस्ट (ओ.एस.ए.टी.) सुविधा** : एक सुविधा जो सेमीकण्डक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग सेवायें प्रदान करती ळें

XVIII. **सेमीकण्डक्टर फैब्रीकेशन (फैब)** : सेमीकण्डक्टर उपकरण बनाने की प्रकिया जिसे सेमीकण्डक्टर विनिर्माण भी कहा जाता है।

XIX. **सेमीकण्डक्टर फोटोनिक्स** : सूचना के प्रसंस्करण और प्रसारण के लिए फोटॉन (प्रकाश कण) के उपयोग से सम्बन्धित सेमीकण्डक्टर प्रौद्योगिकी की शाखा।

xx. **स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस.ई.जेड)** : एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र जहाँ निवेश आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और ट्रेडिंग कानून देश के शेष हिस्सों से अलग हैं।

xxi. **पूँजीगत उपादान** : सेमीकण्डक्टर विनिर्माण परियोजनाओं द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता।

xxii. **स्टाम्प ड्यूटी** : विधिक दस्तावेजों पर, विशेषकर भूमि के क्रय या पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेजों पर लगाया जाने वाला कर।

xxiii. **विद्युत उपादान** : एक वित्तीय प्रोत्साहन जो सेमीकण्डक्टर विनिर्माण इकाइयों के लिए बिजली की लागत को कम करता है।

xxiv. **विद्युत शुल्क**: विद्युत के उपयोग पर एक प्रकार का कर।

xxv. **डुएल पॉवर ग्रिड नेटवर्क** : सेमीकण्डक्टर फैब्स के लिए निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने के लिए एक अनावश्यक विद्युत आपूर्ति बुनियादी ढाँचा।

xxvi. **ट्रॉसमिशन तथा व्हीलिंग चार्जेस** : विद्युत के पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित लागत।

xxvii. **आवश्यक सेवायें और रखरखाव अधिनियम (ई.एस.एम.ए)** : वह अधिनियम जो कुछ उद्योगों या सेवाओं को आवश्यक के रूप में निर्दिष्ट और उनके निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करता है।

xxviii. **ओपेन एक्सेस** : इकाइयों के लिए ग्रिड अथवा अन्य प्रदाताओं से सीधे बिजली खरीदने की क्षमता।

xxix. **पॉवर बैंकिंग**: अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहीत करने और आवश्यकता होने पर उसका उपयोग करने की क्षमता।

xxx. **केस–टू–केस आधार**: विशिष्ट स्थितियों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से लिये गये निर्णय।

xxxi. **स्व–प्रमाणन**: वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इकाइयाँ बाहरी निरीक्षण की आवश्यकता के बिना कुछ श्रम कानूनों के अनुपालन की उदघोषणा कर सकती है।

xxxii. **बैंक/वित्तीय संस्थान** : समस्त अनुसूचित बैंकों को स्वीकार किया जायेगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और अनुमोदित सभी वित्तीय संस्थानों को स्वीकार किया जायेगा।

xxxiii. **राज्य अभिकरण**

i. विकास प्राधिकरण
ii. आवास परिषद

iii औद्योगिक विकास प्राधिकरण

iv सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य राजकीय संस्थान

9 संक्षिप्तीकरण

- AI – Artificial Intelligence
- ATMP - Assembly, Testing, Marking and Packaging
- EC – Empowered Committee
- EMC - Electronics Manufacturing Cluster
- ESDM – Electronic Systems Design & Manufacturing
- FCI - Fixed Capital Investment
- GOI – Government of India
- IoT - Internet of Things
- IT – Information Technology
- ISM - India Semiconductor Mission
- MeitY - Ministry of Electronics & Information Technology
- OSAT – Outsourced Assembly & Test
- PIU – Project Implementation Unit
- PMU – Project Management Unit
- SEZ - Special Economic Zone